



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27, 1937

No. 130]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015/CHAITRA 27, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2015

फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(आई)/टी4एस/कॉन्फ/1/2009.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन) विनियम, 2015 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:

- (1) इन विनियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ में अपेक्षित न हो:-

- (क) "प्रत्यायन निकाय" का अर्थ उस निकाय से है जिसे बोर्ड द्वारा संगत विनियम की अनुरूपता के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण या लेखा-परीक्षा कराने हेतु तृतीय पक्ष एजेंसियों (टीपीएस) की दक्षता का आकलन करने के लिए निर्धारित किया गया हो;
- (ख) "अधिनियम" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) से है;
- (ग) "अनुमोदित एजेंसी" का अर्थ तृतीय पक्ष एजेंसी से है जिसे बोर्ड द्वारा स्वयं या बोर्ड द्वारा निर्धारित मान्यता-प्राप्त निकाय की सिफारिश के आधार पर विधिवत अनुमोदित किया गया हो;
- (घ) "आकलन" का अर्थ किसी नियोजित और प्रलेखित कार्यकलाप से है जिसमें तृतीय पक्ष एजेंसी के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन, डेटा, सूचना या दस्तावेज की जांच और सत्यापन या वस्तुपरक साक्ष्य के अन्वेषण, जांच या मूल्यांकन द्वारा निर्धारण हेतु किए गए स्थल आकलन, ऐसी तृतीय पक्ष एजेंसी की आवश्यकताओं, प्रक्रियाओं, अनुदेशों तथा अन्य लागू दस्तावेजों के संबंध में स्थापित मानदंड के अनुरूप पर्याप्तता शामिल है;
- (ङ) "निरीक्षक" का अर्थ विनिर्दिष्ट दक्षता मानदंड के अनुसार अर्हता प्राप्त निरीक्षक या लेखा-परीक्षक से है;

- (च) “कानूनी कंपनी” का अर्थ उस कंपनी से है जो देश के कानून के अनुसार कानूनी रूप से पंजीकृत है और जिसे उसके कार्यकलापों के लिए कानूनी रूप से ज़िम्मेवार ठहराया जा सकता है;
- (छ) “पर्यवेक्षक” का अर्थ अर्हता प्राप्त निरीक्षकों या लेखा-परीक्षकों के पर्यवेक्षक और उनके कार्य की समीक्षा के लिए ज़िम्मेवार तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति से है;
- (ज) “तृतीय पक्ष एजेंसी” का अर्थ आईएसओ/आईईसी 17020 के अनुसार टाइप ए निरीक्षण निकाय से है;

- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में परिभाषित किया गया है, का अधिनियम या नियमों एवं विनियमों, जैसी स्थिति हो, में क्रमशः सौंपे गए अर्थ होंगे।

3. प्रयोजनीयता

ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:-

- (क) रिफाइनरी, गैस प्रोसेसिंग, एलएनजी पुनः गैसीकरण स्थापना आदि जैसी हाइड्रोकार्बन्स प्रोसेसिंग स्थापनाएं;
- (ख) पाइपलाइन जैसे प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि तथा हाइड्रोकार्बन उत्पाद जो सामान्य तापमान और दबाव (एनटीपी) में गैसीय अवस्था में रहते हैं;
- (ग) एलपीजी पाइपलाइन सहित तरल पेट्रोलियम उत्पाद;
- (घ) वाणिज्यिक और मध्यवर्ती तथा पेट्रोलियम भंडारण सुविधाएं, गैस भंडारण सुविधा केन्द्र और टर्मिनल जिसमें एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनलों में भंडारण सुविधाएं शामिल हों;
- (ङ) हाइड्रोकार्बन्स गैस बॉटलिंग स्थापनाएं जिनमें प्राप्ति, भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं सहित एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन के लिए भंडारण शामिल हो;
- (च) नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण सुविधाएं;
- (छ) वितरण स्टेशन और खुदरा विक्री केन्द्र;
- (ज) पेट्रोलियम उत्पादों का सड़क मार्ग द्वारा परिवहन;
- (झ) अन्य कोई स्थापना जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

4. कार्यक्षेत्र

इन विनियमों की आवश्यकता बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और संशोधित के अनुसार विभिन्न विनियमों की तृतीय पक्ष अनुरूपता पर लागू होगी जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगी -

- (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008;
- (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009;
- (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड [आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी)की आचरण पद्धति] विनियम, 2010;
- (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2012;
- (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2013;

5. आशय:

इन विनियमों का आशय अनुमोदित एजेंसी के रूप में तृतीय पक्ष एजेंसी के आकलन हेतु पात्रता मानदंड और प्रक्रिया सहित अनुमोदित एजेंसियों या स्वयं बोर्ड द्वारा विभिन्न विनियमों की अनुरूपता के आकलन हेतु प्रणाली का उल्लेख करना है।

6. अनुपालना का प्रदर्शन

6.(1) सभी कंपनियों बोर्ड द्वारा अधिसूचित संगत विनियमों का उपयुक्त प्रमाणन, निगरानी, नियंत्रण और उपशमन प्रणाली के जरिए अलग-अलग चरणों में विभिन्न कार्यकलापों की अनुरूपता के आकलन के जरिए अनुपालन करेगी जिसमें सांविधिक लेखा-परीक्षा, विनिर्दिष्ट अवधि पर अनुमोदित एजेंसियों द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण आदि हो। बोर्ड अलग-अलग स्तरों पर विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित अधिसूचित विनियमों की अनुरूपता के आकलन के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश या जांच सूची उपलब्ध कराएगा जो कि डिजाइन या अवसंरचना, उपकरण या सामग्री का प्रापण, निर्माण और स्थापना, प्रचालन, आपात तैयारी और प्रतिक्रिया, आदि तक ही सीमित नहीं होगी।

6.(2) (क) बोर्ड द्वारा अधिसूचित संगत विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनियां आंतरिक लेखा-परीक्षा करेगी तथा वर्ष में कम से कम एक बार अपने निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करेगी।

ख) कंपनियां परिशिष्ट-1 में उपलब्ध कराए गए मैट्रिक्स के अनुसार बारंबारता के अनुरूप बोर्ड द्वारा अधिसूचित संगत विनियमों के अनुपालन हेतु अनुमोदित एजेंसी से बाहरी तृतीय पक्ष निरीक्षण या लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करेगी। निरीक्षण या लेखा-परीक्षा में पिछले निरीक्षण या लेखा-परीक्षा, यदि कोई हो, में गैर-अनुरूपता को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई का सत्यापन शामिल होगा। कंपनी अनुमोदित एजेंसी द्वारा किए गए निरीक्षण या कराई गई लेखा-परीक्षा की एक प्रति अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

7. कंपनियां इन विनियमों का अनुपालन करने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यक्ति को विनिर्दिष्ट करेगी तथा इसकी सूचना बोर्ड को देगी।

8. यदि किसी निरीक्षण या लेखा-परीक्षा या अनुरूपता आकलन में संगत विनियमों के किसी गैर-अनुपालन का पता चलता है, तो कंपनी समय आधारित उपशमन योजना तैयार करेगी जिसकी अनुमोदित एजेंसी द्वारा समीक्षा और सहमति दी जाएगी तथा उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। कंपनी लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी।

9. बोर्ड अपने विवेक पर किसी कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से या किसी अनुमोदित एजेंसी के जरिए अतिरिक्त निरीक्षण या लेखा-परीक्षा करा सकता है।

10. तृतीय पक्ष एजेंसियों की पैनलबद्धता के लिए अनुमोदित एजेंसी और प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अनुसूची-1**(देखें विनियम 10)**

अनुमोदित एजेंसी के रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों हेतु पात्रता मानदंड

1-1 तृतीय पक्ष एजेंसी (टीपीए)**1-1.1 अर्हताएं**

तृतीय पक्ष एजेंसी (टीपीए) इन विनियमों की आवश्यकता को पूरा करेगी, जिसमें आईएसओ/आईईसी 17020 तथा इसमें संशोधन और उन्नयन तथा बोर्ड या प्रत्यायन निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई आवश्यकता या दिशानिर्देश शामिल होंगे।

1-1.1.1 तृतीय पक्ष एजेंसी भारत में एक कानूनी कंपनी होगी या प्रत्यायन अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण निकाय होगी जिसका कार्यालय भारत में होगा।

1-1.1.2 तृतीय पक्ष एजेंसी विनियमों के अंतर्गत अपने निरीक्षकों/लेखा-परीक्षकों के लिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करेगी। तृतीय पक्ष एजेंसी निरीक्षकों/पर्यवेक्षकों का उपयुक्त प्रत्यय-पत्र प्राप्त करेगी। बोर्ड इस संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

1-1.1.3 तृतीय पक्ष एजेंसी में विनियमों के अंतर्गत निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता भी होनी चाहिए। तृतीय पक्ष एजेंसी का निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों के दौरान किन्हीं दो वित्तीय वर्षों में लगातार कोई हानि नहीं होनी चाहिए।

1-1.1.4 तृतीय पक्ष एजेंसी का प्रभावी संगठन, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए जो उसे अपने तकनीकी और सुरक्षा निरीक्षण कार्यों को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की क्षमता को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

1-1.1.5 तृतीय पक्ष एजेंसी में प्रलेखन होगा जो इसके कार्यों तथा इसके कार्यकलाप के तकनीकी कार्यक्षेत्र जिसके लिए यह सक्षम है, का उल्लेख किया गया हो।

1-1.1.6 तृतीय पक्ष एजेंसी को निरीक्षण/लेखा-परीक्षा का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए जो तेल और गैस क्षेत्र में 3 वर्ष से कम नहीं होगा जिसके लिए तृतीय पक्ष एजेंसी अनुमोदन एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त कर रही है। तथापि, बोर्ड अपने विवेक पर तृतीय पक्ष एजेंसी को किसी ऐसी कंपनी के रूप में विचार कर सकता है, जिसके पास तेल और गैस क्षेत्र में अपेक्षित न्यूनतम अनुभव न हो बशर्ते कि उसके पास तेल और गैस क्षेत्र में पर्याप्त योग्य कार्मिक हों जिन्हें अनुभव हो।

1-1.1.7 तृतीय पक्ष एजेंसी योग्य पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों/लेखा-परीक्षकों के जरिए निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कराएगा जो आईएसओ/आईईसी 17020 के अंतर्गत तथा इसमें परिभाषित अनुसार अर्हताएं/ आवश्यकताएं पूरा करते हों।

1-1.2 कर्तव्य

तृतीय पक्ष एजेंसी नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार कार्य करेगी:

1-1.2.1 संगत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विनियम के अनुसार कार्यकलापों की लेखा-परीक्षा के लिए योग्य निरीक्षक/लेखा-परीक्षक उपलब्ध कराएगी।

1-1.2.2 निरीक्षकों/लेखा-परीक्षकों के निष्पादन की जांच, निगरानी और समीक्षा करने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त करेगी।

1-1.2.3 जिम्मेदारियों का उपयुक्त निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर, तृतीय पक्ष एजेंसी-

(क) एक आंतरिक कार्यक्रम स्थापित और कार्यान्वित करेगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यवेक्षक और निरीक्षक/लेखा-परीक्षक का पद धारित करने वाले उसके कर्मचारी इन विनियमों की आवश्यकता के अनुसार अपने कार्य का निष्पादन करें। इस कार्यक्रम को लिखित नीतियों, प्रक्रियाओं, या अनुदेशों द्वारा प्रलेखित किया जाएगा तथा इसमें संगत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित निरीक्षण/लेखा-परीक्षा शामिल होगी। यह कार्यक्रम ऐसे कार्यकलापों, जैसा आवश्यक हो, का अभिविन्यास और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा ताकि उपयुक्त दक्षता स्तर सुनिश्चित हो सके और उसे बनाए रखा जा सके;

(ख) निरीक्षक/लेखा-परीक्षकों तथा उनके पर्यवेक्षकों को लिखित में अनुदेश उपलब्ध कराना, जिसमें उनके संबंधित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया हो;

(ग) जब कभी निरीक्षक/लेखा-परीक्षकों का डिजाइन, निर्माण, स्थापना, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रचालन, सुरक्षा या गुणवत्ता नियंत्रण प्रावधान या उनके कार्यान्वयन के संबंध में संगत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के विनियमों और अन्य संगत सांविधिक नियमों के साथ अनुरूपता का आकलन करने में असमर्थ होने पर, निरीक्षक/लेखा-परीक्षकों को लिखित में अनुदेश उपलब्ध कराना ताकि वे अपने पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकें। अनुदेशों को निरीक्षक/लेखा-परीक्षक को अनुस्मारक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए कि यह उसका प्राधिकार और कर्तव्य है कि वह अपनी रिपोर्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के प्रासंगिक विनियमों का गैर-अनुरूपता वाले सभी मुद्दों को शामिल करें।

1-1.2.4 संगत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य-निष्पादन के लिए संगत दक्षता सहित पर्यवेक्षकों/लेखा-परीक्षकों, पर्यवेक्षकों और तकनीकी प्रबंधक की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि तकनीकी प्रबंधक, निरीक्षक/लेखा-परीक्षक तथा पर्यवेक्षक उपयुक्त अनुसार 1-2.1, 1-3.1 और 1-4.1 की अपेक्षित दक्षता, अनुभव और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अर्हता के प्रलेखन और अनुभव को नियोक्ता द्वारा बनाए रखा जाएगा तथा इसे अनुरोध पर प्रत्यायन निकाय या कानून या सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

1-1.3 तृतीय पक्ष एजेंसी(टीपीए) प्रणाली

1-1.3.1 तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा संशोधन और उसमें उन्नयन सहित तथा बोर्ड या प्रत्यायन निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई आवश्यकता/दिशा-निर्देश की आवश्यकताओं के अनुसार आईएसओ/आईईसी 17020 मानक प्रलेखित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, कार्यान्वित और रखरखाव किया जाएगा। तृतीय पक्ष एजेंसी कार्यकलापों की पहचान करेगी जिसमें निर्धारित प्रणाली लागू होती है तथा इसमें इन विनियमों के लागू भागों में उल्लिखित अनुसार कर्तव्यों और कार्यकलापों के संगठन के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों की योजना, नियंत्रण और पूर्णता उपलब्ध कराएगी।

1-1.3.2 तृतीय पक्ष एजेंसी में न्यूनतम निम्नलिखित भाग शामिल होंगे:-

- (क) **संगठन:-** तृतीय पक्ष एजेंसी बोर्ड या प्रत्यायन निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट संगत विनियमों तथा अन्य कोई आवश्यकता/दिशा-निर्देश की अनुरूपता के लिए अपेक्षित कार्यकलापों/प्रक्रियाओं सहित मानक आईएसओ/आईईसी 17020 या अन्य कोई संगत मानकों के अनुपालन हेतु अपेक्षित कार्यकलापों के लिए संगठनात्मक ढांचा, कार्यात्मक जवाबदेही, प्राधिकारी के स्तर और उत्तरदायित्वों के अनुसार प्रलेखन करेगी।
- (ख) **गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विवरण:** तृतीय पक्ष एजेंसी कार्यकलापों के कार्यक्षेत्र का उल्लेख करेगी जिस पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू होती है। तृतीय पक्ष एजेंसी नीतियों का प्रलेखन करेगी और विद्यमान मानकों और पीएनजीआरबी विनियमों/दिशा-निर्देशों/जांच सूची आदि की आवश्यकताओं के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया का उल्लेख करेगी।
- (ग) **दस्तावेज नियंत्रण:** तृतीय पक्ष एजेंसी अपनी प्रलेखित प्रणाली की समीक्षा और संशोधन हेतु प्रक्रिया का उल्लेख करेगी। प्रलेखित प्रणाली में परिवर्तनों को नियंत्रित किया जाएगा और परिवर्तनों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया जाएगा। प्रणाली में किए जाने वाले सभी परिवर्तनों के लिए कार्यान्वयन से पहले बोर्ड या प्रत्यायन निकाय द्वारा समीक्षा और स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, प्रणाली को नियंत्रित किया जाएगा ताकि उपयुक्त वितरण सुनिश्चित हो सके तथा उसका उस स्थल(लों) में प्रयोग हो सके जहां निर्धारित कार्यकलाप किए जाते हैं।
- (घ) **प्रशिक्षण:** प्रणाली में कर्मिकों के विचारों और प्रशिक्षण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा।
- (ङ) **लेखा-परीक्षा:** प्रणाली में 1-3.2.5 और 1-1.8(घ) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा।
- (च) **अभिलेख:** प्रणाली में अभिलेख प्रबंधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा। विवरण में गोपनीयता को बनाए रखने के लिए प्रणाली सहित रिकार्ड की पहचान करने, सृजन, वितरण और प्रतिधारण के लिए आवश्यकता और जिम्मेदारियां शामिल होंगी।

1-1.4 प्रशासनिक आवश्यकताएं

तृतीय पक्ष एजेंसी को -

- (क) संगठन के कर्मचारियों या पैनलबद्धता विशेषज्ञों के रूप में इसके निरीक्षकों/लेखा-परीक्षकों की पहचान की जाए। संगठन का निरीक्षक/लेखा-परीक्षक के कार्यकलापों पर नियंत्रण होना चाहिए;
- (ख) उपर्युक्त विनियम 3 के तहत उल्लिखित अनुसार क्षेत्रों में लागू कार्यक्षेत्र के लिए निरीक्षक/लेखा-परीक्षक के संगत अनुभव सहित कम से कम 5 निरीक्षकों/लेखा-परीक्षकों को नियमित रोल पर होना चाहिए। पर्यवेक्षक/निरीक्षक का अनुपात कम से कम 1:5 होना चाहिए;
- (ग) अपने स्वामित्व ढांचे में किसी कंपनी की पहचान करना जो सेवा या उत्पाद उपलब्ध कराता है, जिसका कि अपनी तृतीय पक्ष एजेंसी कार्य के साथ मतभेद हो सकता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रलेखित और प्रदर्शन योग्य प्रणाली होनी चाहिए कि तृतीय पक्ष एजेंसी के कार्य में कोई मतभेद न हो;

1-1.5 तृतीय पक्ष एजेंसी की अवसंरचना

तृतीय पक्ष एजेंसी -

- (क) भारत में एक कानूनी कंपनी होनी चाहिए;
- (ख) इसका औपचारिक नाम होना चाहिए और इसे किस कानूनी प्राधिकारी के अंतर्गत बनाया गया था;
- (ग) संगठन के मालिक या मालिकों की पहचान करने और, इसके अतिरिक्त, मूल स्वामि अथवा मालिक सहित स्वामित्व की शृंखला के भीतर किन्ही अन्य मालिकों तक है।

1-1.6 स्वतंत्रता, निष्पक्षता, अखंडता तथा गोपनीयता

1-1.6.1 तृतीय पक्ष एजेंसी आईएसओ 17020 जैसे विद्यमान मानकों में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

1-1.6.2 तृतीय पक्ष एजेंसी आईएसओ/आईईसी 17020 के अनुसार टाइप ए का निरीक्षण निकाय होगा।

1-1.6.3 तृतीय पक्ष एजेंसी में तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन के अलावा कंपनियों के साथ कोई वाणिज्यिक संबंध नहीं होगा।

1-1.6.4 तृतीय पक्ष एजेंसी अपने निरीक्षण/लेखा-परीक्षा/अनुरूपता आकलन कार्यकलापों द्वारा प्राप्त सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी। मालिकाना अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी।

1-1.6.5 तृतीय पक्ष एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि निरीक्षण/लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य और/या संबंधित डेटा/सूचना/प्रलेखन तक पहुंच बनाने के लिए जिम्मेदार बाहरी स्रोत जनशक्ति सहित अपनी सभी जनशक्ति को इस शीर्ष के अंतर्गत न केवल आवश्यकताओं की जानकारी होगी, बल्कि यह उपयुक्त प्रणाली के जरिए इसका अनुपालन भी सुनिश्चित करेगी।

1-1.7 संगठन और प्रबंधन

तृतीय पक्ष एजेंसी में –

(क) अपने तकनीकी कार्यों को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की क्षमता होनी चाहिए;

(ख) जिम्मेदारियों को परिभाषित और प्रलेखन करने तथा अवसंरचना की रिपोर्टिंग करेगी;

(ग) एक तकनीकी प्रबंधक होगा, जैसा भी नाम दिया जाएगा, जिसमें इन विनियमों के अनुसार निरीक्षण/लेखा-परीक्षा/अनुरूपता आकलन कार्यकलापों की निगरानी के लिए समग्र जिम्मेदारी होगी;

(घ) पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों/लेखा-परीक्षकों के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा का निष्पादन करेगी तथा उनके अभिलेखों को अद्यतन बनाएगी।

1-2 तकनीकी प्रबंधक

1-2.1 अर्हताएं

1-2.1.1 तृतीय पक्ष एजेंसी में एक या अधिक व्यक्ति तकनीकी प्रबंधक उपलब्ध होंगे जिनमें यह सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी होगी कि अनुपालन आकलन कार्यकलापों को इन विनियमों, आईएसओ/आईईसी 17020 मानकों तथा विनियमों के अनुसार किया जाए। तकनीकी प्रबंधक तृतीय पक्ष एजेंसी का स्थायी कर्मचारी होगा।

1-2.1.2 तकनीकी प्रबंधक तकनीकी रूप से सक्षम होगा, जिसे विनियमों की गहन जानकारी होगी तथा तेल और गैस क्षेत्र का संगत अनुभव होना चाहिए। जहां तृतीय पक्ष एजेंसी का एक से अधिक तकनीकी प्रबंधक हो, वहां प्रत्येक तकनीकी प्रबंधक की विशिष्ट जिम्मेदारियों को परिभाषित और प्रलेखित किया जाएगा।

1-3 पर्यवेक्षक

1-3.1 अर्हताएं

1-3.1.1 पर्यवेक्षक का तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा चयन और नामांकन किया जाएगा। इस संबंध में, एएसएमई क्यूएआई-1क (प्राधिकृत निरीक्षक के लिए अर्हता), एएसएमई बी31क्यू (पाइपलाइन कार्मिक अर्हता –प्रेसर पाइपिंग के लिए एएसएमई कोड) के भाग 5 जैसे मानकों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। पर्यवेक्षक, निरीक्षक के रूप में भी योग्य होगा और उसके पास नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त योग्यताएं होनी चाहिए।

1-3.1.2 पर्यवेक्षक, निरीक्षक के रूप में योग्य होने के पश्चात् उपर्युक्त विनियम 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, जिसके लिए वह पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार है, में निरीक्षण या जांच जैसे कार्यकलापों में कम से कम 1 वर्ष संलग्न रहा हो।

1-3.1.3 पर्यवेक्षक को विद्यमान पीएनजीआरबी विनियमों और उसमें उल्लिखित किसी मानक/कोड की आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए।

1-3.2 कर्तव्य

पर्यवेक्षक नीचे दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगा:

1-3.2.1 पर्यवेक्षक कार्य स्थलों का रिकार्ड रखेगा जहां पर्यवेक्षक को सौंपे गए निरीक्षक, निरीक्षण गतिविधियों का निष्पादन कर रहे हों। पर्यवेक्षक सौंपे गए पर्यवेक्षक कर्तव्यों से संबंधित दौरों की तारीख को दर्ज करेगा।

1-3.2.2 पर्यवेक्षक अभ्यर्पित निरीक्षकों का रिकार्ड तथा उनके नियत कार्यों का ब्यौरा रखेगा।

1-3.2.3 पर्यवेक्षक, निरीक्षक की दक्षता को बनाए रखने में कार्य से संबंधित विषयों की पैनल चर्चा को आवधिक व्यवस्था के जरिए स्वीकार्य स्तर पर बनाए रखने, अद्वितीय समस्याओं और उनके समाधान का लिखित पत्राचार करने, औपचारिक प्रश्न तथा प्रश्न चर्चा सत्रों और अन्य उपाय योग्य उपयुक्त होंगे। पर्यवेक्षक ऐसे कार्यकलापों का प्रलेखन करेंगे।

1-3.2.4 पर्यवेक्षक, निरीक्षकों के तकनीकी निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। पर्यवेक्षक को सूचित गैर-निष्पादन कार्यकलापों के बारे में तृतीय पक्ष एजेंसी के तकनीकी प्रबंधकों को सूचित किया जाएगा।

1-3.2.5 पर्यवेक्षक प्रत्येक निरीक्षक की प्रत्येक वर्ष लेखा-परीक्षा और निष्पादन का प्रलेखन करेगा और पर्यवेक्षक द्वारा महसूस की गई आवश्यकतानुसार इसके अलावे भी हो सकेगा जिनमें में कम से कम एक ऑनसाइट गवाह शामिल होगा।

1-3.2.6 अपेक्षित लेखा-परीक्षा में उक्त 1-3.2.5 का लिखित में प्रलेखन किया जाएगा तथा उसमें प्रत्येक लेखा-परीक्षित मद की स्थिति के संबंध में टिप्पणी शामिल होगी।

1-3.2.7 पर्यवेक्षक पुष्टि करेगा कि सुधारात्मक कार्रवाई प्रासंगिक एएसएमई कोड और प्रासंगिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड विनियम की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षक द्वारा सत्यापित की गई है।

1-4 निरीक्षक

1-4.1 अर्हता

तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा नियुक्त और विनिर्दिष्ट निरीक्षक कार्यक्षेत्र/ क्षेत्र के लिए उपयुक्त रूप से योग्य होगा जिसमें उसे निरीक्षण कार्यकलाप करना होगा। इस संबंध में, एएसएमई क्यूएआई-1क (प्राधिकृत निरीक्षण के लिए अर्हताएं), एएसएमई वी31क्यू (पाइपलाइन कार्मिक अर्हता- प्रेशर पाइपिंग के लिए एएसएमई कोड) आदि के भाग 5 के रूप में मानकों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। निरीक्षक इन विनियमों की आवश्यकता के अनुसार अनुपालन करेंगे। निरीक्षक के रूप में पदनाम हेतु एक आवेदक की विशेषताओं को नीचे परिभाषित किया जाएगा:

- (क) कार्यशाला निष्पादन और क्षेत्रीय निरीक्षणों के निष्पादन की योग्यता दर्शाना तथा उन्हें नियुक्त करने वाले संगठन की संतुष्टि के लिए संगत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अनुसार अन्य निरीक्षण कार्यकलाप करना;
- (ख) कार्य की जटिलता तथा निरीक्षण किए जा रहे संयंत्र के प्रकार के अनुसार दबाव उपकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं हेतु विशेषज्ञता, अनुभव और पृष्ठभूमि जानकारी की संतुष्टि की मात्रा;
- (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विनियमों में संदर्भित लागू मानकों का ज्ञान विशेषकर संगत एएसएमई कोड, अनुशेष आदि;
- (घ) गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, कार्यक्रम, कार्यशाला और क्षेत्रीय प्रक्रियाओं की जानकारी;
- (ङ) कार्यशाला तथा क्षेत्रीय प्रक्रियाओं और निष्पादन का मूल्यांकन और निगरानी करने की जानकारी और योग्यता;
- (च) अभिलेखों के रख-रखाव और प्रतिधारण की आवश्यकता की जानकारी;
- (छ) तेल और गैस उद्योगों की सुरक्षा प्रणाली की जानकारी।

अनुसूची-2

(देखें विनियम 10)

2.0 तृतीय पक्ष एजेंसी की पैलबद्धता के लिए प्रस्तुत ब्यौरा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की प्रशासनिक आवश्यकता के उपयोग के लिए तृतीय पक्ष एजेंसी के अनुमोदन हेतु है।

2-1 योग्य निरीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने का अपेक्षित प्रत्यायन

आईएसओ/आईईसी 17020 या अन्य कोई उपयुक्त मानक और/या बोर्ड के अनुमोदनानुसार अन्य कोई प्रणाली के अनुरूप प्रत्यायन निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किया जाएगा। बोर्ड स्वयं तृतीय पक्ष एजेंसी का आकलन और पैल बनाने पर भी निर्णय ले सकता है।

2-2 अनुमोदन का कार्यक्षेत्र

(क) बोर्ड द्वारा जारी पैल पत्र में उन क्षेत्रों के लिए निरीक्षण/लेखा-परीक्षा/अनुरूपता आकलन के कार्यक्षेत्र का उल्लेख किया जाएगा जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है। पीएनजीआरबी द्वारा प्रारंभ में अनुमोदन 1 वर्ष के लिए इस शर्त पर जारी किया जा सकता है कि तृतीय पक्ष एजेंसी इस कार्यक्षेत्र के लिए आईएसओ/आईईसी 17020 या अन्य कोई उपयुक्त मानक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करेगी; अनुमोदन प्रत्यायन की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। बोर्ड स्वयं के विवेक पर अनुमोदन के कार्यक्षेत्र और/या अनुमोदित एजेंसी की पैलबद्धता की अवधि को सीमित कर सकता है या बढ़ा सकता है।

(ख) पैलबद्धता के लिए आवेदक उपर्युक्त विनियम 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार किसी एक या सभी क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2-3 पैलबद्धता के लिए आवेदन

पैलबद्धता के लिए इच्छुक तृतीय पक्ष एजेंसी बोर्ड द्वारा जारी विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्रों में प्रत्यायन निकाय/बोर्ड में आवेदन करेगा जिसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

- i) तृतीय पक्ष एजेंसी के रूप में योग्यता/अनुभव वर्णन का आधार तथा अनुमोदित किए जाने वाले कार्यकलापों के कार्यक्षेत्र ;
- ii) विगत 3 वर्षों का वार्षिक कारोबार, निवल मूल्य आदि जैसा वित्तीय ब्योरा।
- iii) विगत 10 वर्षों तक ऐसे अनुभव के विवरण सहित उपर्युक्त विनियम 3 के अंतर्गत उल्लिखित कार्यकलापों में से लागू कार्यकलापों के क्षेत्रों/कार्यक्षेत्र में अनुभव के वर्षों की संख्या।
- iv) कार्य आदेशों तथा समापन प्रमाण-पत्रों, विशेषकर आवेदन किए गए कार्यक्षेत्र और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित और मोहरबद्ध से संबंधित विगत 3 वर्षों की प्रतियों सहित प्रपत्र-1 में उपलब्ध कराए जाने वाले निरीक्षण/लेखा-परीक्षा अनुभव का ब्योरा।
- v) प्रपत्र 2 में उपलब्ध कराए जाने वाले योग्य निरीक्षकों/लेखा-परीक्षकों/पर्यवेक्षकों/ तकनीकी प्रबंधक का ब्योरा तथा तकनीकी प्रबंधक/पर्यवेक्षकों/योग्य निरीक्षकों/लेखा-परीक्षकों का जीवन-वृत्त सहित, जिसे तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा आवेदन किए गए कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षण/लेखा-परीक्षा करने के लिए शामिल किए जाने का प्रस्ताव हो। आवेदन किए गए कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षण/लेखा-परीक्षा के लिए प्रस्तावित बाहर से ली गई जनशक्ति के लिए वचनबद्धता-पत्र और/ या प्रतिबद्धता से संबंधित संविदा जिसमें नियुक्ति की अवधि को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
- vi) आवेदक को सूचना की सटीकता के संबंध में प्रपत्र-3 में घोषणा करनी होगी।

2-4 पैलबद्धता के लिए तृतीय पक्ष एजेंसी का आकलन

- (क) बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रत्यायन निकाय के जरिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करेगा जिसमें आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रस्तुति देना शामिल होगा।
- (ख) आवेदक आईएसओ/आईईसी 17020 या अन्य किसी उपयुक्त मानक के अनुपालन में तथा अन्य आवश्यकताओं जैसे 'तृतीय पक्ष एजेंसी' निरीक्षण/अनुरूपता आकलन प्रणाली में सभी परिवर्तनों को नियंत्रित किया जाएगा जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा या उसके द्वारा अनुमोदित प्रत्यायन निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट अपने दस्तावेज की एक नियंत्रित प्रति उपलब्ध कराएगा।
- (ग) नई पैलबद्धता या पैलबद्धता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को उन स्थलों का आकलन करने की आवश्यकता होगी जहां से आवेदक के प्रबंधन कार्य और निरीक्षण/ अनुरूपता आकलन कार्यकलाप नियंत्रित होते हैं, जिसके बाद स्थल की लेखा-परीक्षा की जाएगी जहां आवेदक द्वारा वास्तविक निरीक्षण किया जा रहा है। आवेदक उन स्थलों का उल्लेख करेगा जहां प्रबंधन प्रणाली आईएसओ/आईईसी 17020 या अन्य कोई लागू मानकों को पूरी तरह प्रदर्शित किया जाएगा। आकलन का उद्देश्य आवेदक की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करना है जिसमें इसका कार्यान्वयन और विशिष्ट निरीक्षणों/अनुरूपता आकलन के निष्पादन की दक्षता शामिल होगी।
- (घ) आकलन की सीमा को बोर्ड और/या प्रत्यायन निकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो आवेदक के आवेदन में वर्णित निरीक्षण/अनुरूपता आकलन के वांछित कार्यक्षेत्र की समीक्षा पर आधारित होगी।
- (ङ) तृतीय पक्ष एजेंसी पीएनजीआरबी विनियमों सहित आईएसओ/आईईसी 17020 या अन्य किसी उपयुक्त मानक के अनुरूप आकलन के लिए अपने सुविधा केन्द्रों, परिसरों, कार्मिकों, दस्तावेजों और रिकार्डों के लिए आकलन दल उपलब्ध कराएगी।
- (च) प्रत्यायन निकाय दस्तावेज की पर्याप्तता तथा निरीक्षण/ अनुरूपता आकलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा दक्षता/संगत अनुभव का संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करने के बाद ही पीएनजीआरबी विनियमों के तहत निरीक्षण/ अनुरूपता आकलन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तृतीय पक्ष एजेंसी के संबंध में बोर्ड को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

2-5 अनुमोदन जारी करना

आवेदन किए गए निरीक्षण/अनुरूपता आकलन के कार्यक्षेत्र के लिए तृतीय पक्ष एजेंसी की दक्षता का सफल आकलन पूरा होने पर प्रत्यायन निकाय तृतीय पक्ष एजेंसी को कार्यक्षेत्र सहित बोर्ड को सिफारिश करेगा जिसके लिए तृतीय पक्ष एजेंसी का सफलतापूर्वक आकलन किया गया है और मान्यता प्रदान की गई है। बोर्ड आंतरिक आकलन/ प्रत्यायन निकाय की जांच करेगा, आवश्यकता पड़ने पर आवेदक से प्रस्तुति लेगा और संतुष्टि होने पर पैलबद्धता पत्र जारी करके अनुमोदित एजेंसी के रूप में पैलबद्धता प्रदान करेगा। अनुमोदित एजेंसी पैलबद्धता के पत्र के नियम और शर्तों, आईएसओ/आईईसी 17020 और/या अन्य कोई लागू मानक और या प्रत्यायन निकाय तथा इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगी।

2-6 अनुमोदन का नवीकरण

पैलबद्धता की वैधता के समाप्त होने की तारीख से 6 महीने पूर्व तृतीय पक्ष एजेंसी प्रत्यायन निकाय या बोर्ड को सीधे आवेदन करेगी, यदि बोर्ड द्वारा उक्त पैलबद्धता के नवीकरण के लिए ऐसा कोई निकाय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो।

2-7 शुल्क लगाना

बोर्ड पैलबद्धता प्राप्त करने वाली तृतीय पक्ष एजेंसी से शुल्क के रूप में 1,00,000 रुपए की गैर-प्रतिदेय राशि का शुल्क लगाएगा तथा अनुमोदित एजेंसी के रूप में पैलबद्धता के तत्पश्चात् नवीकरण हेतु 25,000 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा

बशर्ते कि पैनल की निरंतरता को बनाए रखा जाए। शुल्क अनुमोदित एजेंसी या बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नई दिल्ली में देय सचिव, पीएनजीआरबी के नाम में डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में प्राप्त किया जाएगा, यदि ऐसा कोई निकाय विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

प्रपत्र-1

सेक्टर	कार्य आदेश	निरीक्षण का प्रकार/कार्यक्षेत्र	निरीक्षण कार्य करने की अवधि	कार्य आदेश का मूल्य
नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
पाइपलाइन जैसे प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि तथा हाइड्रोकार्बन्स उत्पाद जो एनटीपी में गैसीय अवस्था में रहेंगे।	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
हाइड्रोकार्बन्स प्रोसेसिंग स्थापना (रिफाइनरी, गैस प्रोसेसिंग, एलएनजी पुनः गैसीकरण स्थापना आदि)	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
वाणिज्यिक पेट्रोलियम भंडारण सुविधाएं, गैस भंडारण सुविधा केन्द्र और टर्मिनल जिसमें एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनलों में भंडारण सुविधाएं शामिल हों;	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
हाइड्रोकार्बन्स गैस बॉटलिंग स्थापनाएं जिनमें प्राप्ति, भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं सहित एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन के लिए भंडारण शामिल हो;	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
वितरण स्टेशन और खुदरा बिक्री केन्द्र;	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:

	:	:	:	:
	5	5	5	5
सड़क मार्ग द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन;	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
अन्य (कृपया उल्लेख करें)	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5

टिप्पणी: आवेदक निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा

- 1) क्षेत्र/कार्यक्षेत्र का अनुभव, जिसके लिए तृतीय पक्ष एजेंसी के रूप में पैनलबद्धता के लिए आवेदन दिया गया है; और
- 2) आवेदन किए गए कार्यक्षेत्र से संबंधित तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित और मोहरबद्ध विगत 3 वर्षों के कार्य-आदेश और समापन प्रमाण-पत्र की प्रतियां।

प्रपत्र-2

1.	तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी का नाम	
2.	पता (मुख्यालय)	
	कार्यालय का पता जहां से निरीक्षण सेवाएं उपलब्ध/प्रबंधित की जाती हैं (यदि उपर्युक्त से भिन्न हो)।	
	दिल्ली/एनसीआर का पता, यदि कोई हो	
3.	संपर्क व्यक्ति/ई-मेल/संपर्क संख्या:	
4.	कंपनी की प्रोफाइल	(यदि आवश्यकता हो तो अलग शीट संलग्न करें)
5.	क्या टीपीआईए ने कार्यक्षेत्र, जिसके लिए पैनलबद्धता का अनुरोध किया गया है, के अंतर्गत आईएसओ 17020 प्रमाणन प्राप्त किया है?	हां/नहीं (यदि हां तो कार्यक्षेत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)
6.	तकनीकी निरीक्षण/लेखा-परीक्षा एजेंसी के रूप में कार्य अनुभव के कुल वर्षों की संख्या	
7.	निरीक्षण/लेखा-परीक्षा से संबंधित सेवाओं से संबद्ध मौजूदा जनशक्ति की कुल संख्या	

तकनीकी लेखा-परीक्षा के लिए योग्य जनशक्ति का ब्योरा

	तकनीकी प्रबंधकों की संख्या		सक्षम पर्यवेक्षकों की संख्या		सक्षम निरीक्षकों की संख्या	
	नियमित रोल पर	संविदा पर	नियमित रोल पर	संविदा पर	नियमित रोल पर	संविदा पर
8.	वार्षिक कारोबार (पिछले तीन वर्षों से संबंधित तकनीकी निरीक्षण कार्य का)					
9.	निवल मूल्य (विगत तीन वर्षों के लिए)					

टिप्पणी: तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त जनशक्ति बाध्यता करार पर आधारित होनी चाहिए जो सामान्यतः एक वर्ष की अवधि से कम नहीं होगी, जिससे तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा की जाने वाली तृतीय पक्ष निरीक्षण सेवाओं के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो।

प्रपत्र-3
वचनबद्धता

मैं..... मैसर्स..... का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना सत्य और सही है। कोई गलत सूचना/भ्रामक सूचना/ तथ्यों को छिपाने से मैसर्स..... अनुमोदित एजेंसी के रूप में वचनबद्धता के लिए अपात्र हो जाएगी।

स्थल:

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

आवेदक का नाम

परिशिष्ट-1
[देखें विनियम 6(2) (ख)]

क्र.सं.	स्थापना का नाम	टी 4 एस लेखा-परीक्षा की आवधिकता (वर्ष)	ईआरडीएमपी समीक्षा और प्रमाणन की आवधिकता (वर्ष)	आईएमएस लेखा-परीक्षा की आवधिकता (वर्ष)
1.	रिफाइनरी	#	3	#
2.	गैस प्रोसेसिंग स्टेशन	#	3	#
3.	एलएनजी पुनः गैसीकरण स्थापना	#	3	#
4.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें	3	5	3
5.	प्रोपेन/ब्यूटेन पाइपलाइनें	#	5	#
6.	तरल पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें	3	5	3
7.	पेट्रोलियम भंडारण सुविधाएं	#	5	#
8.	गैस भंडारण सुविधाएं और टर्मिनल जिनमें एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनलों में भंडारण सुविधा शामिल हों।	#	5	#
9.	हाइड्रोकार्बन्स गैस बॉटलिंग स्थापनाएं जिनमें प्राप्ति, भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं सहित एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन के लिए भंडारण शामिल हो;	#	5	#
10.	नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क	3	5	3
11.	वितरण स्टेशन और खुदरा विक्री केन्द्र	#	5	#
12.	सड़क मार्ग द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन	#	5	#
13.	अन्य कोई स्थापना जिसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया हो।	#	#	#

टिप्पणी: (1) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आवधिकता अधिकतम अवधि है जिसमें लेखा-परीक्षा कराई जानी होती है। तथापि, कंपनी द्वारा लेखा-परीक्षा/समीक्षा कराई जाएगी, जब कभी स्थापना में बड़ा परिवर्तन, आशोधन, गत्यावरोध दूर करना, विस्तार आदि हो तथा प्रौद्योगिकी का प्रकार, स्वचालन का स्तर, संयंत्र की आयु, आसपास होने वाले परिवर्तन जैसे जनसांख्यिकी अस्पतालों का निर्माण, बड़े समूह स्थल आदि जिनमें जोखिम स्तर को बदलने की क्षमता हो या जोखिम को मापने की प्रतिक्रिया का प्रभाव हो या अन्य किसी लागू सांविधिक के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हो, जैसे तथ्यों पर भी विचार किया जाएगा।

(2) प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एकीकृत प्रबंधन विनियमों के अंतर्गत आवधिक तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षा की अवधि टी4एस विनियमों और एकीकृत प्रबंधन विनियमों के अंतर्गत पहले किए गए तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षा के अनुसार होगी ताकि पिछले टी4एस/एकीकृत प्रबंधन लेखा-परीक्षा में सूचित किसी गैस-अनुरूपता को कम करने की जांच और पुष्टि की जा सके तथा टी4एस विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली में नई कनेक्टिविटी/सुविधाओं के संबंध में भी विचार किया जा सके जो पिछले तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षा के बाद हुए हों।

बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाएगा।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन—III/4/असा./188/17/15]

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

F. No. PNGRB/M(I)/T4S/Confo/1/2009.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Third Party Conformity Assessment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Accreditation Body" means a body determined by the Board to assess the competence of Third Party Agencies (TPAs) for carrying out third party inspection or audit for conformity to the relevant regulation and recommend to the Board for their empanelment;

(b) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006);

(c) "Approved Agency" means a Third Party Agency duly approved by the Board on its own or based on recommendation by an Accreditation Body determined by the Board;

(d) "Assessment" means a planned and documented activity which may include examination and verification of the application, data, information or documents submitted by a Third Party Agency and office or site assessment performed to determine by investigation, examination or evaluation of objective evidence, the

adequacy of compliance with established criteria regarding requirements, procedures, instructions and other applicable documents and the effectiveness of implementation of such Third Party Agency;

- (e) “Inspector” means Inspector or auditor qualified as per specified competence criteria;
- (f) “Legal entity” means an entity which is legally registered as per laws of the country and which can be legally held responsible for its activities;
- (g) “Supervisor” means a technically competent person responsible for supervising qualified inspectors or auditors and for reviewing their work;
- (h) “Third Party Agency” means Type A inspection body as per ISO/IEC 17020.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

3. Applicability

These regulations shall apply to –

- (a) hydrocarbons processing installations such as refinery, gas processing, LNG Re-gasification installations etc.;
- (b) pipeline such as natural gas, propane, butane etc. and the hydrocarbon products which remain in gaseous state at Normal Temperature and Pressure (NTP);
- (c) liquid petroleum product including LPG pipeline;
- (d) commercial as well as intermediate and balancing petroleum storage facilities, natural gas storage facilities and terminals including storage facilities at LNG Re-gasification terminals;
- (e) hydrocarbon gas bottling installations having receiving, storage and handling facilities including storage for LPG, propane and butane;
- (f) city or local natural gas distribution facilities;
- (g) dispensing stations and retail outlets;
- (h) transportation of petroleum products by road;
- (i) any other installation as may be notified by the Board from time to time.

4. Scope

Requirement of these regulations shall apply for third party conformity of various regulations as notified and amended by the Board from time to time including but not limited to the following–

- (a) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;
- (b) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009;
- (c) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)) Regulations, 2010;
- (d) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for Natural gas pipelines) Regulations, 2012;
- (e) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2013;

5. Intent

The intent of these regulations is to specify mechanism for assessment of conformity to various regulations by the entities through Approved Agencies or by the Board on its own including eligibility criteria and procedure for assessment of Third Party Agency for empanelment as Approved Agency.

6. Demonstration of compliance

6.(1) All entities shall demonstrate compliance to the relevant regulations notified by the Board through assessment of conformity of various activities at different stages through appropriate certification, monitoring, control and mitigation mechanism including Statutory Audits, Third Party Inspections etc by Approved Agencies at specified periodicity and through appropriate submissions to the Board. The Board may provide appropriate guidelines or check lists for assessing conformity of notified regulations related to various activities at different stages including but not limited to design of system or infrastructure, procurement of material or equipment, construction and commissioning, operation, emergency preparedness and response etc.

6.(2) (a) The entities shall undertake an internal audit for ensuring compliance to relevant regulations notified by the Board and seek the approval of their Board of Directors at least once a year.

(b) The entities shall arrange for an external third party inspection or audit from an Approved Agency for compliance of relevant regulations notified by the Board in accordance to frequency as per matrix provided at Appendix-1. The inspection or audit shall include verification of actions taken for addressing the non-conformities raised in the previous inspection or audit, if any. A copy of the report of inspection or audit carried out by approved agency shall be submitted by the entity after approval by its competent authority to the Board.

7. The entities shall designate authorized person for the purpose of compliance to these regulations and inform the Board.

8. In case any inspection or audit or any other means of conformity assessment reveals any non compliance of relevant regulations, the entity shall prepare a time based mitigation plan which is reviewed and agreed to by the Approved Agency and submit the same to the Board. The entity shall provide quarterly progress report on compliance of the audit observations.

9. The Board, at its discretion, may undertake an additional inspection or audit of any entity either directly or through an approved agency.

10. Eligibility criteria for Third Party Agencies seeking approval as Approved Agency and Procedure for Empanelment of Third Party Agencies are as specified in Schedule-1 and Schedule-2.

Schedule-1
(see regulation 10)

Eligibility Criteria for Third Party Agencies seeking approval as Approved Agency:**1-1 THE THIRD PARTY AGENCY (TPA)****1-1.1 Qualifications**

A Third Party Agency (TPA) shall meet the requirements of these Regulations, ISO/IEC 17020 including amendments and up gradation thereto and any other requirements or guidelines specified by the Board or Accreditation Body.

1-1.1.1 A TPA shall be a legal entity in India or a reputed International Inspecting body having an office in India.

1-1.1.2 The TPA shall ensure the competence of its inspectors/ supervisors for the scopes for which empanelment is sought. The TPA shall obtain appropriate credentials of inspectors/ supervisors. The Board may issue guidelines in this regard from time to time.

1-1.1.3 The TPA shall also have adequate financial capability to carry out inspection/ audit under regulations. The net worth of TPA shall be positive and there shall not be losses in any two consecutive financial years during last 3 years.

1-1.1.4 The TPA shall have an effective organization, monitoring and control mechanism that enables it to maintain the capability to perform its technical and safety inspection functions satisfactorily.

1-1.1.5 The TPA shall have documentation which describes its functions and the technical scope of activity for which it is competent.

1-1.1.6 The TPA shall have adequate experience of inspection/ audit but no less than 3 years in the field of Oil and Gas sector for which the TPA is seeking approval as an Approved Agency. However, Board may, at its discretion, consider a TPA as an entity which does not possess the requisite minimum experience in the field of Oil and Gas sector provided it has adequate qualified personnel having experience in Oil and Gas sector.

1-1.1.7 The TPA shall carry out inspection/audit through qualified Supervisors and Inspectors/auditors who meet the qualifications/ requirements under ISO/IEC 17020 and as defined herein.

1-1.2 Duties

A TPA shall perform the duties specified below:

1-1.2.1 Provide qualified Inspectors/auditors to audit the activities in accordance with the relevant Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations.

1-1.2.2 Employ Supervisors to check, monitor and review the performance of the Inspectors/auditors.

1-1.2.3 Assure proper execution of responsibilities. In particular, the TPA shall -

(a) establish and implement an internal programme which shall provide assurance that those of its employees holding the position of Supervisor and Inspector/auditor perform their work in accordance with the requirements of these Regulations. This programme shall be documented by written policies, procedures, or instructions and shall be covering inspections/audits required under relevant Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations. The programme shall provide for orientation and training of personnel performing such activities, as necessary, to ensure that suitable proficiency level is achieved and maintained;

(b) provide instructions in writing to Inspectors/auditors and their Supervisors, specifying their respective duties and responsibilities;

(c) provide instructions in writing to Inspectors/auditors to require them to contact their Supervisor whenever the Inspector/auditor is unable to judge conformity with relevant Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations and other relevant Statutory Rules relating to design, construction, commissioning, manufacturing procedure, operation, safety or quality control provision or its implementation. Instructions should be included as a reminder to the Inspector/auditor that he has the authority and the duty to assess and include in its report all issues involving non conformance with relevant Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations.

1-1.2.4 Ensure availability of Inspectors/auditors, Supervisors and Technical Manager with relevant competence for performing work under the provisions of relevant Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations, to ensure that the Technical Manager, Inspectors/auditors and Supervisors meet the required competence, experience and training requirements of 1-2.1,1-3.1 and 1-4.1 as appropriate. Documentation of the qualifications and experience shall be retained by the employer and shall be made available for review by the accreditation body or legal or statutory authorities upon request.

1-1.3 TPA System

1-1.3.1 A documented quality management system shall be established, implemented, and maintained by the TPA in accordance with the requirements of the ISO/IEC 17020 Standard including amendments and up gradation thereto and any other requirements/ guidelines specified by the Board or Accreditation Body. The TPA shall identify the activities to

which the laid down system applies and shall provide for the planning, control and accomplishment of activities affecting the quality of the organization's implementation of duties and activities as described in the applicable parts of these Regulations.

1-1.3.2 The TPA System shall, at a minimum, include the following parts:

(a) *Organization.* The TPA shall document the organizational structure, functional responsibilities, levels of authority and lines of responsibilities for activities required for compliance with the requirements of the Standard ISO/IEC 17020 or any other relevant standards including amendments and upgradation thereto, for activities/processes required for conformity of relevant regulations and any other requirements/ guidelines specified by the Board or Accreditation Body.

(b) *Quality Management System Description.* The TPA shall describe the scope of the activities for which the Quality Management System applies. The TPA shall document the policies and describe the process for the implementation of the requirements of the applicable Standards and PNGRB Regulations/Guidelines/Check Lists etc.

(c) *Document Control.* The TPA shall describe the process for the review and revision of its documented System. Changes to the documented System shall be controlled and the process for review and approval of changes shall be specified. All changes to the System require review and acceptance by the Board or Accreditation Body before implementation. Further, the System shall be controlled to ensure appropriate distribution to and use at the location(s) where the prescribed activity is performed.

(d) *Training.* The System shall describe the process for the indoctrination and training of personnel.

(e) *Audits.* The System shall describe the process for the audits as required under 1-3.2.5 and 1-1.8(d).

(f) *Records.* The System shall describe the process for records management. The description shall include the requirements and the responsibilities for record identification, generation, distribution, and retention including mechanism for maintaining confidentiality.

1-1.4 Administrative Requirements

The TPA must -

(a) identify its Inspectors/auditors as employees or empanelled experts of the organization. The organization must demonstrate control over the Inspector's/auditor's activities;

(b) have on its regular rolls at least 5 Inspectors/auditors and one Supervisor with relevant experience of inspection/ audit for the scope applied for out of the areas as mentioned under regulation 3 above. The Supervisor /Inspector ratio shall be at least 1:5;

(c) identify any entity within its ownership structure that provides a service or product that may create a conflict of interest with its TPA work and put in place a documented and demonstrable mechanism to ensure that there is no conflict of interest in TPA work;

1-1.5 Structure of TPAs

The TPA must -

(a) be a legal entity in India ;

(b) provide the formal name of the TPA and under what legal authority it was formed ;

(c) identify the owner or owners of the organization and, additionally, any other owners within the chain of ownership up to, and including, the ultimate parent or owner.

1-1.6 Independence, Impartiality Integrity and Confidentiality

1-1.6.1 The TPAs shall meet requirements prescribed in the applicable standards like ISO 17020.

1.1.6.2 The TPAs shall be Type A inspection bodies as per ISO/IEC 17020.

1.1.6.3 The TPAs shall not have any commercial relationship with the entities other than third party conformity assessment.

1.1.6.4 The TPA shall ensure confidentiality of information obtained in the course of its inspection/audit/conformity assessment activities. Proprietary rights shall be protected.

1.1.6.5 The TPA shall ensure that all of its manpower including outsourced manpower responsible for carrying out inspection/ audit related tasks and/or having access to related data/information/document are not only aware of the requirements under this head but shall also ensure compliance of the same through an appropriate mechanism.

1-1.7 Organization and Management

The TPA shall -

(a) have the capability to perform its technical functions satisfactorily;

(b) define and document the responsibilities and reporting structure;

(c) have a technical manager, howsoever named, who has the overall responsibility for overseeing inspection/audit/conformity assessment activities in accordance with these regulations;

(d) perform annual review of performance of Supervisors and Inspectors/ auditors and update their records.

1-2 THE TECHNICAL MANAGER

1-2.1 Qualifications

1-2.1.1 The TPA shall have available one or more persons as technical managers who have overall responsibility to ensure that the conformance assessment activities are carried out in accordance with these Regulations, ISO/ IEC 17020 Standard and as per regulations. The Technical Manager shall be a permanent employee of the TPA.

1-2.1.2 The Technical Managers shall be technically competent, have thorough knowledge on regulations and have relevant experience in the Oil and Gas sector. Where the TPA has more than one technical manager, the specific responsibilities of each technical manager shall be defined and documented.

1-3 THE SUPERVISOR

1-3.1 Qualifications

1-3.1.1 The Supervisor shall be selected and designated as such by the TPA. In this regard, guidance may be taken from standards such as Part 5 of ASME QAI-1a (Qualifications for Authorized Inspection), ASME B31Q (Pipeline Personnel Qualification – ASME Code for pressure piping). A Supervisor shall also be qualified as an Inspector and shall have the additional qualifications specified below.

1-3.1.2 The Supervisor, subsequent to being qualified as an Inspector, shall have been engaged for at least 1 year in activities such as inspection or examination in the areas specified under Regulation 3 above for which he is responsible for supervision.

1-3.1.3 The Supervisor shall have knowledge of the requirements of the applicable PNGRB Regulations and any standards/codes mentioned therein.

1-3.2 Duties

The Supervisor shall perform the duties specified below:

1-3.2.1 The Supervisor shall maintain a record of field sites where Inspectors assigned to the Supervisor are performing inspection activities. The Supervisor shall record the date of visits when related to the assigned supervisory duties.

1-3.2.2 The Supervisor shall maintain a record of those Inspectors assigned and a description of their assignments.

1-3.2.3 The Supervisor shall assist in maintaining the competency of the Inspector to an acceptable level through periodic arrangement of panel discussions of work-related topics, written communications of unique problems and their solution, informal question and answer discussion sessions, and other means deemed suitable. The Supervisor shall maintain documentation of such activities.

1-3.2.4 The Supervisor shall be responsible for the technical performance of the Inspectors. Nonconforming activities reported to the Supervisor shall be informed to the TPA's Technical Managers.

1-3.2.5 The Supervisor shall audit and document the performance of each Inspector, which shall include at least one onsite witness in each year and at additional times as the need is felt by the Supervisor.

1-3.2.6 The audit required in 1-3.2.5 shall be documented in writing and shall contain comments regarding the status of each item audited.

1-3.2.7 The Supervisor shall confirm that corrective action has been verified by the Inspector to ensure compliance with the requirements of relevant ASME Code and relevant Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations.

1-4 THE INSPECTOR

1-4.1 Qualifications

An Inspector appointed and designated by the TPA shall be appropriately qualified for the scope/ area in which he is to carry out inspection activity. In this regard, guidance may be taken from standards such as Part 5 of ASME QAI-1a (Qualifications for Authorized Inspection), ASME B31Q (Pipeline Personnel Qualification – ASME Code for pressure piping) etc. Inspectors shall comply with the requirements of these Regulations. An applicant for designation as an Inspector shall have the characteristics defined below:

(a) Demonstrated ability to perform shop and field inspections and other inspection activities in accordance with relevant Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations to the satisfaction of the Organization employing him;

(b) Satisfactory degree of expertise, experience, and background knowledge for the inspection of pressure equipment and other critical facilities according to the complexity of the assignment and the type of plant being inspected;

(c) Knowledge of applicable standards referenced in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Regulations particularly the relevant ASME Code, Addenda, etc.;

(d) Knowledge of Quality Control Systems, programs, shop and field procedures;

(e) Knowledge and ability to evaluate and monitor shop and field procedures and performance;

(f) Knowledge of the requirements for maintenance and retention of records;

(g) Knowledge on Safety system of Oil and Gas Industries.

SCHEDULE-2
(see regulation 10)

The details submitted for empanelment of TPAs are for use within the administrative requirements of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board for approval of TPAs.

2-1 REQUIRED ACCREDITATION TO PROVIDE QUALIFIED INSPECTION SERVICES

TPAs shall be accredited by the Accreditation Body, as per ISO/IEC 17020 or any other appropriate standard and/or any other mechanism as approved by the Board. The Board may also decide to assess and empanel TPAs on its own.

2-2 SCOPE OF APPROVAL

(a) The letter of empanelment issued by the Board shall state the scope of inspection/audit/conformity assessment for the sectors for which approval is granted. Approval may be issued by PNGRB initially for 1 year on condition that the TPA shall obtain accreditation under ISO/IEC 17020 or any other appropriate standard for the scope for which TPA has been approved. Further, the TPA gets accreditation under ISO/IEC 17020 or any other appropriate standard; the approval may be issued upto the period of accreditation. The Board may, at its discretion, limit or extend the scope of approval and/or period of empanelment of Approved Agency.

(b) Applicants for empanelment may apply for any or all of the areas as specified under Regulation 3 above.

2-3 APPLICATION FOR EMPANELMENT

A TPA desiring empanelment shall apply to the Accreditation Body/ Board in specified application forms issued by the Board and/or Accreditation Body which shall also include the following:

- i) Describing the basis for its qualification/ experience as a TPA and the scope of activities to be approved.
- ii) Financial Details such as Annual Turnover, Net worth etc. for the last 3 years.
- iii) Number of years of experience in the areas /scope of activities applied for out of the activities mentioned under Regulation 3 above along with the description of such experience upto last 10 years.
- iv) Details of inspection/audit experience to be provided in the Format 1 along with copies of Work Orders and Completion Certificates particularly for the last 3 years related to the scope applied for and duly stamped and certified by the authorized signatory.
- v) Details of Qualified Inspectors/auditors/supervisors/technical manager to be provided in Format 2 along with resumes of technical manager/ supervisors/ Qualified Inspectors/auditors who the TPA proposes to involve for carrying out the inspection/ audit under the scope applied for. For outsourced manpower proposed for inspection/ audit under the scope applied for, undertaking, letter of commitment and/ or contract relating to commitment clearly mentioning the period of engagement need also to be provided.
- vi) The applicant shall be required to give declaration in Format 3 with respect to correctness of information.

2-4 ASSESSMENT OF TPAs FOR EMPANELMENT

- (a) The Board either directly or through an Accreditation Body shall evaluate the applications received which may include presentation to the Board by the applicant.
- (b) The applicant shall provide a controlled copy of its documentation specified by the Board or by the Board approved Accreditation Body in compliance with ISO/IEC 17020 or any other appropriate standard and in accordance with other requirements such as 'All changes to the TPA Inspection/Conformity Assessment System shall be controlled'.

- (c) Applicants applying for fresh empanelment or renewal of empanelment may require an assessment at locations from where the applicant's management functions and inspection/conformity assessment activities are controlled, followed by site audit where actual inspection is being carried out by the applicant. The applicant shall specify the locations at which the Management System as per ISO/IEC 17020 or any other applicable standard will be fully demonstrated. The purpose of the assessment is to evaluate the Applicant's Quality Management System including its implementation as well as its competence to perform specific inspections/conformity assessment.
- (d) The extent of the assessment will be determined by the Board and/or by the Accreditation Body based on a review of the Applicant's intended scope of inspection/conformity assessment described in the application.
- (e) A TPA shall provide the Assessment Team access to its facilities, premises, personnel, documents and records necessary to assess conformance with ISO/IEC 17020 or any other appropriate standard including PNGRB Regulations.
- (f) The Accreditation Body shall submit its recommendation to the Board regarding TPA to provide inspection/conformity assessment services under PNGRB Regulations only after the adequacy of the documentation and the implementation of the Inspection/conformity assessment programme as well as competence/relevant experience has been satisfactorily demonstrated.

2-5 ISSUANCE OF APPROVAL

Upon completion of a successful assessment of the competence of the TPA for the scope of inspection/conformity assessment applied for, the Accreditation Body shall recommend the TPA to the Board along with the scope for which TPA has been successfully assessed and accredited. The Board shall examine in house assessment/ the recommendation of the Accreditation Body, seek a presentation from the applicant if required and shall on satisfaction grant empanelment as an Approved Agency by issuing letter of empanelment. The approved agency shall comply with the terms and conditions of letter of empanelment, requirements of ISO/IEC 17020 and/or of any other applicable Standards and/or of the Accreditation Body and the provisions of these Regulations.

2-6 RENEWAL OF APPROVAL

No later than 6 months prior to the date of expiration of the validity of the empanelment, the TPA shall apply to the Accreditation Body or to the Board directly in case no such body is specified by the Board for the renewal of their empanelment.

2-7 Levy of Fees

The Board shall levy a nonrefundable amount of Rs. 1, 00,000/- as fees from the TPA seeking empanelment and Rs. 25000/- for subsequent renewal of empanelment as Approved Agency provided the continuity of empanelment is maintained. The fee shall be received through Approved Agency or by the Board directly in case no such body is specified by the Board, in the form of demand draft in favour of Secretary, PNGRB payable at New Delhi.

FORMAT-1

Sector	Work order	Type/Scope of Inspection	Period of Carrying Out Inspection Work	Value of work order
City or Local Natural Gas Distribution Network	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
Pipeline such as natural gas, propane, butane etc. and the hydrocarbons products which remain in gaseous state at NTP;	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
Hydrocarbons processing installation (refinery, gas processing, LNG Re-gasification installations etc.);	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
Commercial petroleum storage facilities, gas storage facilities and terminals including storage facilities at LNG Re-gasification terminals;	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
Petroleum Product Pipeline	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
Hydrocarbons gas bottling Installations having receiving, storage and handling facilities including storage for LPG, propane and butane;	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
Dispensing stations and retail outlets;	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
Transportation of petroleum products by road;	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5
Others (please specify)	1	1	1	1
	2	2	2	2
	:	:	:	:
	:	:	:	:
	5	5	5	5

Note: The applicant to provide

- 1) Experience for the areas/scope for which application has been made for empanelment as TPA; and
- 2) Copies of Work Orders and Completion Certificates during the last 3 years related to the scope applied for and duly stamped and certified by the authorized signatory

FORMAT-2

1	Name of the Third Party Inspection Agency					
2	Address (HO)					
	Address of office from where Inspection Services are provided/managed (if different from above)					
	Delhi/NCR Address, if any					
3	Contact Person/ Email/ Contact Numbers:					
4	Company Profile	(Attach Separate Sheet if required)				
5	Whether the TPIA has obtained the ISO 17020 certification under the scope for which empanelment is requested?	YES/No (if yes clearly mention the scope)				
6	Total No. of years of work experience as a technical inspection/audit agency					
7	Total No. of Existing Manpower associated with Inspection/ Audit related services					
Details of Man Power Qualified for Technical Audits						
No. of Technical Managers		No. of competent supervisors			No. of competent Inspectors	
On Regular Rolls		On Contract	On Regular Rolls	On Contract	On Regular Rolls	On Contract
8	Annual Turn Over(for Technical Inspection related work for the last three years)					
9	Net Worth (for the last three years)					

Note: The manpower engaged by TPA on contract basis should be based upon a binding agreement normally no less than a period of one year ensuring their availability for third party inspection services to be undertaken by the TPA.

FORMAT- 3

Undertaking

I, _____ authorized signatory of
M/s _____ hereby confirm that the information given above is true and correct. Any
wrong information /misrepresentation/ suppression of facts will make M/s _____ ineligible
for empanelment as an approved agency.

Place:

Date:

Signature of applicant

Name of applicant

Appendix-1
(see regulation 6 (2) (b))

S. No.	Name of Installation	Periodicity for T4S Audit (Years)	Periodicity for ERDMP Review and Certification (Years)	Periodicity for IMS Audit (Years)
1	Refinery	#	3	#
2	Gas Processing station	#	3	#
3	LNG Re-gasification Installation	#	3	#
4	Natural Gas Pipelines	3	5	3
5	Propane/ Butane Pipelines	#	5	#
6	Liquid Petroleum Product Pipelines	3	5	3
7	Petroleum Storage Facilities	#	5	#
8	Gas Storage Facilities and terminals including storage facilities at LNG Re-gasification terminals	#	5	#
9	Hydrocarbon gas bottling Installations having receiving, storage and handling facilities including storage for LPG, propane and butane;	#	5	#
10	City or Local Natural Gas Distribution Network	3	5	3
11	Dispensing Stations and retail outlets	#	5	#
12	Transportation of Petroleum Products by road	#	5	#
13	Any other installation as may be notified by the Board from time to time	#	#	#

Note: (1) The periodicity specified above is maximum period in which audit is to be carried out. However, the audit/review may be carried out by the entity whenever there is a major change, modification, debottlenecking, expansion etc in installation and also in consideration of factors like type of technology, levels of automation, age of plant, changes in the neighborhood such as demography, coming up of hospitals, places of large congregation etc having potential to alter risk level or have an impact to response measures to a risk or as may be required under any other applicable Statutes.

(2) The periodic third party audit under Integrity Management Regulations for natural gas pipelines shall be carried out with reference to third party audits carried out earlier under T4S Regulations and Integrity Management Regulations in order to examine and confirm the compliance of mitigation of any non-conformity reported in the previous T4S / Integrity Management Audits and to also look into compliance of provisions of T4S Regulations with respect to new connectivity/ facilities in the natural gas pipeline system which have come up subsequent to previous third party audits.

To be decided by the Board from time to time

K. RAJESWARA RAO, OSD(®)

[Advt.-III/4/Exty./188/17/15]